

कार्यालय जिला पंचायत जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक/6729/आर.जी.एस.ए./जि.पं./2025

जांजगीर, दिनांक ९-12-2025

पंचायत संचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय छ.ग. विकास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, भू-तल अटल नगर रायपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक/पंचा./RGSA/144B/2025/762 दिनांक 13.03.2025 एवं पत्र क्रमांक/पंचा./आरजीएसए/144B/2025/771 दिनांक 20.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 12.12.2025 से दिनांक 29.12.2025 समय सायं 05:30 बजे तक कार्यालय (पता) "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन कोड- 495668" के नाम से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। किसी भी स्थिति में आवेदन सीधे कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जाने पर स्वीकार नहीं की जावेगी, केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही नियत तिथि तक प्रस्तुत आवेदन स्वीकार होंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा निर्देश जिले के वेबसाइट- www.janjgir-champa.gov.in तथा जिला पंचायत जांजगीर-चांपा के सूचना पटल से प्राप्त किया जा सकता है।

संविदा भर्ती हेतु स्वीकृत रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पद का नाम	वर्ग	पद संख्या				
			मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	विकलांग	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला समन्वयक (DPM)-RGSA	अनारक्षित	01	0	0	0	01
2	संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC)	अनुसूचित जाति	01	0	0	0	01
योग:-			02	0	0	0	02

• शैक्षणिक अर्हता एवं संविदा वेतन विवरण :-

क्र.	रिक्त पद का नाम	पद की संख्या	संविदा वेतन रु. में	निर्धारित अर्हता	100 अंकों का मेरिट हेतु निर्धारण	
					विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला समन्वयक (DPM)-RGSA	01 (अनारिक्षत - मुक्त)	44,450 / - एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साईस/आईटी) एम.सी.ए./बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईस/आईटी) में न्यूनतम 60% अंक। 2. कम से कम 02 वर्ष शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार- 70%	70
					शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	10
					पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
					कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 20%	20
					कुल अंक	100

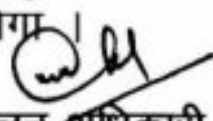
क्र.	रिक्त पद का नाम	पद की संख्या	संविदा वेतन रु. में	निर्धारित अर्हता	100 अंकों का मेरिट हेतु निर्धारण	
					विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6	7
2	संकाय सदस्य जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC)	01 (अनुसूचित जाति)	31750 /- एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रामीण विकास प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. कम से कम 01 वर्ष का शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंकों का अधिभार- 70%	70
					शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	10
					पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव का प्राथमिकता	
					कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार- 20%	20
कुल अंक						100

उक्त संविदा रिक्त पद की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

- न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जावेगी। (आयु के संबंध में हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किए गए समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने एवं उक्त दस्तावेजों के स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव प्राप्त अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दिया जायेगा।
- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
- संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छग सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
- संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

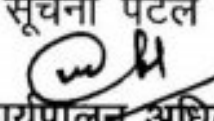
12. उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
13. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरुद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। तदुपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
14. मूल प्रमाण पत्रों की जांच/कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ई-मेल कार्यानुभव अवधि की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिए गए अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। साथ ही शासन से अनुदान प्राप्त शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 06 माह का पे-स्लीप व प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. 06 माह या उससे कम अवधि के अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा। 6 माह से अधिक तथा 1 वर्ष से कम अवधि के अनुभव के लिए 1 अंक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष हेतु अनुभव के अंकों की गणना इसी के अनुसार की जावेगी।
18. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वर्ग का स्पष्ट उल्लेख किया जावे। आवेदन बंद लिफाफे में कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत-जांजगीर-चांपा (छ0ग0) को प्रेषित करते हुए स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 29.12.2025 तक कार्यालयीन समय शाम 05:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि व समय पश्चात् व्यक्तिगत रूप से, ई-मेल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किया जावेगा।
19. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
20. यथास्थिति विज्ञापन निरस्त करने का अधिकार नियोक्ता कार्यालय का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होंगे।
21. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 60:40 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त है अतः योजनान्तर्गत समस्त पदों की संविदा अवधि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान तक के लिए ही मान्य रहेगी।
22. विस्तृत नियम-शर्तें एवं आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत-जांजगीर-चांपा, रोजगार कार्यालय, जिला जांजगीर-चांपा एवं कार्यालय जनपद पंचायत, अकलतरा, बलौदा, बम्हनीडीह, पामगढ़ एवं नवागढ़ के सूचना पटल पर तथा जिले के वेबसाइट www.janjgir-champa.gov.in पर देखा जा सकता है।
23. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित जिला जांजगीर-चांपा का आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
24. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विज्ञापन के प्रकाशन तिथि या उसके पूर्व को होना अनिवार्य है। प्रकाशन तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
25. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन पत्र में संलग्न किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।

26. दावा-आपत्ति में केवल कार्यालयीन लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा, अन्य किसी भी विषय पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
27. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरियता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
28. चयन पश्चात् तदभार ग्रहण के पूर्व नियुक्ति पर अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
29. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
30. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमैय समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
31. संकाय सदस्य का पद पर नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका WPS 7579/2023 श्री चन्द्रहास जायसवाल विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य 3 विचाराधीन/लंबित है, उक्त याचिका में पारित निर्णय/आदेश के अध्यक्षीन रहेगा।
32. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पर किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर-चांपा का होगा, जो बंधनकारी एवं सर्वमान्य होगा।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत जांजगीर-चांपा
 जांजगीर, दिनांक 12-12-2025

पृ0क्रमांक /6730 आर.जी.एस.ए./जि.पं./2025
 प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, पंचायत संचालनालय विकास भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त, जनसंपर्क छत्तीसगढ़ संवाद नार्थ ब्लॉक सेक्टर 19-नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
6. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला जांजगीर चाम्पा छ.ग. को निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी), जिला जांजगीर-चांपा को एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया जिले के वेबसाइट www.janjgir-champa.gov.in में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला जांजगीर-चांपा को एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करना सुनिश्चित करें।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत जांजगीर-चांपा

कार्यालय जिला पंचायत जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम

अभ्यर्थी
स्व-प्रमाणित
फोटो चस्पा
करें।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत जांजगीर-चांपा
जिला -जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

01. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में
 (ब) अंग्रेजी में
02. पिता/पति का नाम
 03. लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग)
 04. जन्म तिथि (अ) अंको में
 (ब) शब्दों में
 (स) दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्ष माह दिन
05. वर्ग (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.)
 06. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में)

 07. स्थायी पता (हिन्दी में)

 08. मोबाईल नंबर
 09. ई-मेल आई.डी.
 10. आधार नंबर
 11. रोजगार कार्यालय का नाम
 जीवित पंजीयन क्र./दिनांक
 12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	श्रेणी
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
1							
2							
3							
4							
5							
6							

13. अनुभव का विवरण :-

क्र.	कार्यालय/संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

14. वैवाहिक स्थिति :-

क. विवाहित/अविवाहित

—

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावे :-

विवाह का दिनांक

—

ग. जीवित संतान का विवरण :-

क्र.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1.			
2.			
3.			

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य हैं। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक :

स्थान :